न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 503/2025
इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय नं0 34, जी0एन0 चेट्टी रोड, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय 5वीं मंजिल, यूनिक एस्पायर बिल्डिंग, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी निहाल सिंह पुत्र श्री बुद्वसिंह

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेश पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी सीथल, जिला झुंझुनूं, राज0 पिन कोड 333021
2. श्री कृष्ण मुरारी पुत्र विघाधर, निवासी सीथल, जिला झुंझुनूं, राज0 पिन कोड 333021

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट सक्ट 2002 (केन्द्रीय धारा 54/2002)

उपस्थितः—
एडवोकट श्री परिवेश कुमार— प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 01.12.2025

प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के यहां Auto Loan के लिए प्रस्ताव किया और अप्रार्थी की प्रार्थना पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को उक्त वित्तीय सहायता प्रदान की। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की किश्तों का भुगतान नियमानुसार नही किया गया है इसलिए बंध सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते एवं बैंक द्वारा सरफेसी की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैः—

Sr. No.	Particulars	Details
1	वित्तीय संस्था का नाम	इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय नं0 34, जी0एन0 चेट्टी रोड, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय 5वीं मंजिल, यूनिक एस्पायर बिल्डिंग, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी निहाल सिंह पुत्र श्री बुद्वसिंह
2	ऋणी का नाम व पता	श्री नरेश पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी सीथल, जिला झुंझुनूं, राज0 पिन कोड 333021
3	सहऋणी का नाम व पता	श्री कृष्ण मुरारी पुत्र विघाधर, निवासी सीथल, जिला झुंझुनूं, राज0 पिन कोड 333021
4	ऋण खाता संख्या	RJH01387L दिनांक 02.05.2023
5	कुल ऋण राशि	9,62,621/— (अक्षरे नौ लाख बासठ हजार छः सौ इक्कीस रूपये मात्र)
6	ऋण किस्म	Auto Loan
7	एन0पी0ए0 दिनांक	05.10.2024
8	ऋणी व सहऋणी को सरफेसी को सरफेसी एक्ट के तहत भिजवाये गए नोटिस धारा 13(2) की एवं तामिल संबंधी दस्तावेजात	05.02.2025
9	धारा 13(2) के तहत मांगी गई कुल राशि	8,90,573.22/— मात्र (अक्षरे आठ लाख नब्बे हजार पांच सौ तिहत्तर रूपये बाईस पैसे मात्र)
10	ऋण के बदले रहन/हाईपोटिकेट रखा गया वाहन अथवा सम्पत्ति का ववरिण	बोलेरो पिकअप वाहन सं0 RJ-18-GC-4982 जिसके इंजन नं0 TTP1D16323 एवं चेचिस नं0 PID40354 है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

सिक्युरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र सलंग्न है। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम की धारा 14 के तहत सहायता प्राप्त कर अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थी/ऋणी बंधक सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन का भौतिक कब्जा संभलवाने मे असफल रहते है तो ऐसी स्थिति मे प्रार्थी बैंक प्राधिकृत अधिकारी के जरिये स्थानीय पुलिस थाना की सहायता से बंधक सम्पत्ति हाईपोथिकेट वाहन का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त बंधक सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन मााननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) के कार्यालय मे पंजीकृत होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण/ऋणी को न्यायालय द्वारा कोई सूचना/नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। प्रार्थी बैंक माननीय न्यायालय से निम्न प्रार्थना कर अनुतोष चाहती है (क) यह कि प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत बंधक/हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति/वाहन का भौतिक कब्जा लेने हेतु संबंधित थाने से आवश्यक पुलिस ईमदाद प्राप्त करने के आदेश दिये जावे। (ख) यह कि पुलिस ईमदाद प्राप्त करनें हेतु संबंधित पुलिस थाना को तहरीर जारी की जावे। (ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे उचित एवं आवश्यक हो।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थीगण की बोलेरो पिकअप वाहन सं0 RJ-18-GC-4982 जिसके इंजन नं0 TTP1D16323 एवं चेचिस नं0 PID40354 है का पजेशन प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं